न्यायालय :– उपखण्ड अधिकारी, सांचौर

पीठासीन अधिकारी – श्री मुरारीलाल शर्मा (आर.ए.एस.)

राज0वि0प्र0 संख्या :– 4 ..../2018

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सांवलाराम पुत्र पीराराम कौम कलबी, निवासी –राजेश्वरपुरा, तहसील सांचौर जिला जालौर (राज0) उम्रः 40 वर्ष।		1. सरकार जरिये तहसीलदार, सांचौर। 2. बाबूलाल पुत्र पीराराम 3. पुनमाराम पुत्र पीराराम 4. मरगो बेवा पीराराम जातियान कलबी, निवासीगण राजेश्वरपुरा, तहसील सांचौर जिला –जालौर(राज0)।

प्रार्थना पत्र बाबत रेकर्ड दुरूस्ति।

उपस्थित :–

1– श्री सगताराम चौधरी वकील प्रार्थी की ओर से।

2– सरकार जरिये तहसीलदार –सांचौर।

3– श्री शंकर चौधरी वकील अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 की ओर से।

निर्णय

दिनांक– 7-3-18

1– इस प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी सांवलाराम ने प्रार्थना पत्र बाबत रेकर्ड दुरूस्ति का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा अमरापुरी में खेत खसरा नम्बर 353 रकबा 1.12 हैक्टर, खसरा नम्बर 498 रकबा 3.24 हैक्टर, खसरा नम्बर 536 रकबा 0.15 हैक्टर कुल रकबा 4. 51 हैक्टर के आये हुये है जो प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 के संयुक्त खातेदारी के आये हुये है जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थीगण 2 ता 4 की जाति भूलवश विश्नोई लिख दी गयी जबकि प्रार्थी व अप्रार्थीगण 2 ता 4 की जाति कलबी है। प्रार्थी के पिता पीरा पुत्र रूगनाथ कौम कलबी के नाम की जमाबन्दी संवत 2061 से 2064 की प्रति प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण की जाति कलबी है लेकिन राजस्व रेकर्ड की चौशाला

उपखण्ड अधिकारी–सांचौर जिला जालोर (राज0)

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

जमाबन्दी बनाते समय भूलवश से प्रार्थी व अप्रार्थीगण 2 ता 4 की जाति कलबी न लिखकर विश्नोई लिखी है जो एक लिपिकीय त्रुटि होकर मानवीय भूल है। ऐसी सुरत में उक्त लिपीकीय त्रुटि संशोधित की जावें।

2– प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये जिस पर अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 ने ईकबालिय जबाव देकर राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 की जाति विश्नोई से दुरूस्त कर रेकर्ड में जाति कलबी करने का प्रकट किया तथा तहसीलदार सांचौर ने भी प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 की जाति कलबी लिखे जाने बाबत कोई आपत्ती नही होना जाहिर किया गया।

3– पत्रावली का अध्ययन एवं अवलोकन किया प्रार्थी वकील की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज जमाबन्दीया आदि में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 की जाति कलबी दर्ज है तथा अप्रार्थीगण ने भी यही तथ्य स्वीकार किये गये है। ऐसी सुरत़ में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार सांचौर को आदेश दिया जाता है कि ग्राम अमरापुरी में खेत खसरा नम्बर 353 रकबा 1.12 हैक्टर, खसरा नम्बर 498 रकबा 3.24 हैक्टर, खसरा नम्बर 536 रकबा 0.15 हैक्टर कुल रकबा 4.51 हैक्टर में दर्ज प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 की जाति विश्नोई के स्थान पर जाति कलबी दर्ज की जावें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

7-3-18
(मुरारी लाल शर्मा)
(उपखण्ड अधिकारी)
सांचौर

उपखण्ड अधिकारी-सांचौर जिला जालोर (राज0)

निर्णय आज दिनांक 7-3-18 को लिखा जाकर सुनाया गया।

7-3-18
(मुरारी लाल शर्मा)
(उपखण्ड अधिकारी)
सांचौर

उपखण्ड अधिकारी-सांचौर जिला जालोर (राज0)